बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................../ पटना, दिनांक.........................
सं०सं०–03/उ०नि०/भवन जिर्णोद्धार–01/16

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तिय वर्ष 2017–18 में पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकट्टी, गया को Re-Develop करने हेतू ₹68,32,601.00 (अरसठ लाख बत्तीस हजार छः सौ एक रूपये) मात्र के अनुमानित लागत पर स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषयक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना के पत्रांक–2001/पी0डी0ए0, दिनांक–28.11.2017 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तिय वर्ष 2017–18 में पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकट्टी, गया को Re-Develop करने हेतू ₹68,32,601.00 (अरसठ लाख बत्तीस हजार छः सौ एक रूपये) मात्र के अनुमानित लागत पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकट्टी, गया को Re-Develop करने हेतू ₹68,32,601.00 (अरसठ लाख बत्तीस हजार छः सौ एक रूपये) मात्र अनुमानित लागत पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

(3) उपरोक्त पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकट्टी, गया को Re-Develop करने हेतू कार्यान्वयन ऐजेंसी के रूप में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना को नामित किया गया है। निर्माण कार्य का निरीक्षण/देख–रेख उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना द्वारा की जायेगी।

(4) उक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–104 हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0101–हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड 23-2851001040101, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद में बजट उपबंध में उपबंधित राशि से की विकलित होगा। जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

(5) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना के PL Account–PLA–268 में उपलब्ध करायेंगे। जिसकी प्राप्ति शीर्ष–K-8448001200029 हैं।

(6) इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

(7) राशि की निकासी कोषागार फार्म सं0–46 पर की जायेगी।

(8) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–सं०सं०–03/उ०नि०/भवन जिर्णोद्धार–01/16 के **पृष्ट–25/टि0** पर दिनांक–01.03.18 को प्राप्त है। जिसका **डायरी संख्या–541/IDC,** दिनांक–**28.02.18** है।

(9) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–सं०सं०–03/उ०नि०/भवन जिर्णोद्धार–01/16 के **पृष्ट–29/टि0** पर दिनांक–09.03.18 को प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ट–02

(10) वित्त विभागीय पत्रांकः–7355 / वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................ /
पटना, दिनांक........................

संoसंo–03 / उoनिo / भवन जिर्णोद्धार–01 / 16

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................ /
पटना, दिनांक........................

संoसंo–03 / उoनिo / भवन जिर्णोद्धार–01 / 16

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक....1013.... /
पटना, दिनांक....14.03.18

संoसंo–03 / उoनिo / भवन जिर्णोद्धार–01 / 16

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय / प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना / उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना / बजट शाखा, उद्योग विभाग / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा–3(उ0नि0) / प्रशाखा–1 योजना (स0)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.3.18

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive sujeet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------156